प्रोबेशन (Pronation)

प्रस्तुतकर्ता

डॉ. सुषमा शर्मा

सहा. प्राध्यापक - समाजशास्त्र

डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

विषय	पृष्ठ संख्या

- प्रोबेशन की परिभाषा
- विशेषताएँ
- प्रोबेशन के उद्देश्य
- प्रोबेशनर
- प्रेबेशनरों के प्रकार
- प्रोबेशन की उपयोगिता

प्रोबेशन की परिभाषा –

रीनमैन के अनुसार – "प्रोबेशन अपराधियों के सुधार का एक तरीका है जिसमें अदालत द्वारा लगाई गयी शर्तों के अनुसार सदाचरण करने पर वे मुक्त किये जाते हैं, और प्रोबेशन अधिकारी के निरीक्षण में रखे जाते हैं।"

इलियट के अनुसार – "प्रोबेशन इस प्रकार दण्ड देने वाली संस्था से इस शर्त पर कि अपराधी अच्छा व्यवहार करेगा, मुक्ति मिलने को कहते हैं ।"

प्रोबेशन की विशेषताएँ –

१. सुधारात्मक

२. दण्ड निर्धारण के बाद की स्थिति

३. सजा नहीं भुगतान पड़ता

४. सजा से मुक्ति के बदले अपराधी से अच्छा व्यवहार बनाये रखने की आशा

५. प्रोबेशनर को हर सम्भव सहायता और निर्देश देने का प्रयास करता है राज्य ।

प्रोबेशन के उद्देश्य –

- अपराध का सामाजिक उत्तरदायित्व
- सुधार की सम्भवना
- दण्ड पूर्व की स्थिति
- दण्ड से मुक्ति
- अपराधी द्वारा सदाचार
- प्रोबेशनर की सहायता

प्रोबेशनर –

प्रोबेशनर ‘‘प्रोबेशन’’ से बना है । यहाँ प्रोबेशनर का अर्थ उस व्यक्ति से लगाया जाता है जिसे प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है ।

प्रोबेशनरों के प्रकार –

- शराबी
- निद्राजनक औषधि व्यसनी
- मनोव्याधिकी
- मनसिक हीन
- परम्परा-विरोधी

प्रोबेशन की उपयोगिता –

- व्यक्ति के दृष्टिकोण से
- समुदाय की दृष्टि से
- प्रोबेशन अधिकारीं की दृष्टि से
- सामाजीकृत न्याय की अवधारणा को बल
- अपराधी – मनोवृत्तियों में परिवर्तन
- अनुशासन की भावना का विकास
- समाज के साथ सामंजस्य
- समाज का सहयोग प्राप्त होता है
- बंदीगृह की अपेक्षा अधिक सस्ता
- अनेक सुविधाएँ प्राप्त होती है ।